



जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय

गदाऊ, भांकरोटा-मुहाना लिंक रोड, जयपुर (राज.) - 302026

वेबसाइट : www.jrsanskrituniversity.ac.in ई-मेल - jrsu@yahoo.com टेलीफोन: 0141-2850551-75

शिक्षाशास्त्री (दो वर्षीय), शास्त्री-शिक्षाशास्त्री (चार वर्षीय) एवं शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम में सत्र 2024-25 में प्रवेश हेतु नवीन आवेदन पत्र प्राप्त करने तथा शिक्षाशास्त्री (दो वर्षीय) एवं शास्त्री-शिक्षाशास्त्री (चार वर्षीय) तृतीय काउन्सलिंग आयोजन कार्यक्रम की सूचना

विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षाशास्त्री (दो वर्षीय), शास्त्री-शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम (चार वर्षीय) एवं शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम सत्र 2024-25 में प्रवेश हेतु नवीन आवेदन पत्र भरने एवं शिक्षाशास्त्री (दो वर्षीय) एवं शास्त्री-शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम (चार वर्षीय) हेतु ऑनलाईन तृतीय काउन्सलिंग, नवीन रजिस्ट्रेशन, महाविद्यालय चयन एवं महाविद्यालयों में रिपोर्टिंग करने का कार्यक्रम निम्नानुसार जारी किया जाता है-

- | | | |
|---|---|------------------------------------|
| 1. नवीन छात्रों द्वारा आवेदन की दिनांक | - | दिनांक 16.12.2024 से 22.12.2024 तक |
| 2. आवेदन शुल्क | - | राशि रुपये 500/- |
| 3. पंजीयन शुल्क एवं महाविद्यालयों का चयन | - | दिनांक 16.12.2024 से 22.12.2024 तक |
| 4. पंजीयन शुल्क | - | राशि रुपये 5000/- |
| 5. छात्रों को महाविद्यालय आवंटन की सूचना प्राप्त की दिनांक | - | दिनांक 23.12.2024 |
| 6. पाठ्यक्रम शुल्क | - | राशि रुपये 21930/- |
| 7. आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग एवं शुल्क जमा करने की दिनांक | - | दिनांक 23.12.2024 से 30.12.2024 तक |

नोट- 1. पाठ्यक्रम शुल्क का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया गया है, इसमें वृद्धि एवं अन्य प्राप्त निर्देशों की अनुपालना अभ्यर्थी को करनी होगी।

2. उक्त विज्ञापन के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण वेबसाइट www.jrsanskrituniversity.ac.in पर देखें।

ऑनलाईन काउन्सलिंग हेतु प्रक्रिया निम्नानुसार है-

1. परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थी शिक्षाशास्त्री अथवा शास्त्री-शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु वेबसाइट <https://psst2024.jrsu.in/> पर अपना लॉग इन करने के पश्चात् उसके स्वयं के द्वारा पूर्व में भरी गई सूचनाओं को देख सकता है।
2. अभ्यर्थी इस बात को विशेष ध्यान रखे कि उसके द्वारा आवेदन पत्र भरते समय किसी भी प्रकार की गलत सूचना नहीं भरी गई हो यदि किसी कारणवश पूर्व में उसके द्वारा कोई तथ्य गलत भर दिया गया हो तो ऐसे अभ्यर्थी हेल्पलाइन नं. पर वार्ता कर अथवा हेल्पलाइन ईमेल आई डी पर अपनी समस्या वर्णित करते हुए मय संबंधित दस्तावेज भेजकर सही करवा सकते हैं। यदि अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना के आधार पर महाविद्यालय आवंटन होने पर अथवा महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर लेने के पश्चात् इसकी जानकारी महाविद्यालय स्तर पर अथवा विश्वविद्यालय स्तर पर प्राप्त होने पर उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
3. अभ्यर्थी चाहे तो जिलेवार महाविद्यालयों की सूची को देख सकता है।
4. अभ्यर्थी महाविद्यालयों के चयन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उसके द्वारा लिये गये विषय उनके द्वारा चयनित किए जा रहे महाविद्यालयों में अध्ययन के लिए उपलब्ध है। इस हेतु महाविद्यालयों की सूची मय अध्ययन विषय पोर्टल पर प्रदर्शित की गई है।
5. अभ्यर्थी अपनी पसन्द के महाविद्यालयों का चयन प्राथमिकता/वरीयतानुसार करें। महाविद्यालय चयन हेतु विकल्प देने की कोई सीमा नहीं है। अतः प्रवेश पाने हेतु अधिकतम विकल्पों का चयन करें। सीमित विकल्प देने पर उन्हें उनकी वरीयता क्रम के अनुसार महाविद्यालय का आवंटन नहीं हुआ तो उन्हें इस हेतु आगे अवसर नहीं दिया जायेगा। अभ्यर्थी को कम से कम 10 महाविद्यालयों का चयन करना अनिवार्य है।
6. अभ्यर्थी महाविद्यालयों के चयन के समय ही अपने चुने गये विकल्पों के क्रम को आगे दिये गये ऑप्शन बटन के माध्यम से बदल सकते हैं तथा गलत महाविद्यालय का चयन हो जाने पर उसे अपनी वरीयता सूची में से डिलिट कर सकते हैं।



जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय
मदाऊ, भांकरोटा-मुहाना लिंक रोड़, जयपुर (राज.) - 302026

वेबसाईट : www.jrsanskrituniversity.ac.in ई-मेल - jrsu@yahoo.com टेलीफैक्स: 0141-2850551-75

7. महाविद्यालयों की चयन प्रक्रिया को पूरा हो जाने के पश्चात् अभ्यर्थी उन्हें Lock & Save (सुरक्षित) कर काउन्सलिंग शुल्क रूपये 5000/- दिये गये विकल्पों के माध्यम से जमा करवाकर अपनी चयन प्रक्रिया को पूर्ण कर सकता है।
8. अभ्यर्थी प्रक्रिया पूर्ण हो जाने पर उसका प्रिन्ट अपने पारा सुरक्षित रखें।
9. आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश की तिथि को अभ्यर्थी के पास नियमानुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र/अंकतालिका, जाति, दिव्यांगता, सैनिक, आश्रित, विधवा/ विवाह- विच्छिन्न आदि के मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे तथा साथ ही इन सभी की दो सत्यापित प्रतियां एवं दो फोटो ले जाना अनिवार्य है।
10. आवंटित महाविद्यालयों में परिवर्तन तथा पारस्परिक परिवर्तन किसी भी स्थिति में संभव नहीं होगा।
11. यदि किसी अभ्यर्थी ने महाविद्यालय का आवंटन होने के पश्चात् यदि उसमें प्रवेश नहीं लिया तो यदि भविष्य में काउन्सलिंग होगी तो उसे सम्मिलित करने/न करने के निर्णय का अधिकार विश्वविद्यालय का होगा इस प्रकार के समस्त प्रकरणों में विश्वविद्यालय द्वारा अन्त में विचार किया जावेगा।
12. किसी भी वाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।
जो अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में महाविद्यालय में रिपोर्टिंग करने एवं पाठ्यक्रम शुल्क जमा करवाने में असमर्थ रहेंगे उन अभ्यर्थियों का प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।

कुलसाधिव एवं समन्वयक
PSST, PSSST-2024